भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 553
उत्तर देने की तारीख 20 नवम्बर, 2019

ब्रॉडबैण्ड कवरेज

553. श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर ओडिशा राज्य में इंटरनेट कवरेज के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में संचार टावर स्थापित करने के लिए संचार सेवा-प्रदाताओं (टीएसपी) को कोई प्रोत्साहन दिया है/देने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्रॉडबैण्ड कवरेज कितना है और इस मामले में अन्य देशों की तुलना में भारत में ब्रॉडबैण्ड कवरेज कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ब्रॉडबैण्ड सेवाओं की लागत को तर्कसंगत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा 01 अक्तूबर, 2019 को जारी की गई अप्रैल-जून, 2019 की अवधि से संबंधित "भारतीय दूरसंचार सेवाएं निष्पादन सूचकांक" रिपोर्ट के अनुसार, देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल 665.31 मिलियन थी। इनमें से ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपभोक्ताओं और नैरोबैंड उपभोक्ताओं की संख्या क्रमश 594.38 मिलियन और 70.72 मिलियन है। इन 665.31 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ताओं में से, देश में 427.05 मिलियन शहरी इंटरनेट उपभोक्ता और 238.26 मिलियन ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता हैं।

जारी....2

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए, भारतनेट (विश्व में ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना) का क्रियान्वयन ओडिशा सहित देश में लगभग सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड अवसंरचना मुहैया कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

दिनांक 07.11.2019 की स्थिति के अनुसार, कुल 1,40,668 ग्राम पंचायतों (जीपी) को 3,80,988 किलोमीटर लम्बी भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाकर जोड़ा गया है और 1,28,376 ग्राम पंचायतों में सेवा के लिए तैयार हैं तथा शेष ग्राम पंचायतों में परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

दिनांक 24.09.2019 की स्थिति के अनुसार भारतनेट परियोजना के अधीन ओडिशा में कुल 3944 (ब्लॉक मुख्यालयों सहित) ग्राम पंचायतों को 12201 किलोमीटर लम्बी ओएफसी बिछाकर जोड़ा गया है, जिसमें से 3,656 ग्राम पंचायतें के लिए तैयार हैं।

इसके अलावा, इस फ्लैगशिप परियोजना के भाग के रूप में, ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवा तक पहुँच बनाने के लिए वाई-फाई या किसी अन्य उचित ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के अंतिम छोर तक सभी ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। दिनांक 07.11.2019 की स्थिति के अनुसार, भारतनेट के अधीन 95 सक्रिय वाई-फाई कनेक्शन और 685 फाइबर टू दा होम (एफटीटीएच) कनेक्शन लगाए गए हैं।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) - II परियोजना स्कीम के तहत, गृह मंत्रालय द्वारा ओडिशा में पहचान किए गए स्थलों पर 158 मोबाइल टॉवर लगाने का प्रस्ताव है।

देश में दिनांक 30 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार लाइसेंस अधीन सेवा क्षेत्र-वार इंटरनेट उपलब्धता की जानकारी (प्रति 100 व्यक्तियों पर इंटरनेट उपभोक्ता) अनुबंध के रूप में संलग्न है।

सार्वजनिक रूप (पब्लिक डॉमेन) से उपलब्ध कुछ रिपोर्टों के अनुसार, विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में भारत का दूसरा स्थान है।

(घ) वर्ष 2000 में यथासंशोधित ट्राई अधिनियम 1997 के उपबंधों के अनुसार, प्रशुल्क (टैरिफ) संबंधी मामला ट्राई के अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान में, डाटा सेवाओं से संबंधित प्रशुल्कों को 'फॉरबियरेंस' के रूप में रखा गया है अर्थात प्रशुल्कों में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास डाटा सेवा के मूल्य नियत करने की स्वतंत्रता है।

जारी....3

अनुबंध

देश में दिनांक 30 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार लाइसेंस सेवा क्षेत्र-वार इंटरनेट उपलब्धता की जानकारी (प्रति 100 व्यक्तियों पर इंटरनेट उपभोक्ता) अनुबंध के रूप में संलग्न है।

लाइसेंस सेवा क्षेत्र	प्रति 100 व्यक्तियों पर इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	57.33
असम	36.62
बिहार	29.19
दिल्ली	158.64
गुजरात	62.78
हरियाणा	53.42
हिमाचल प्रदेश	73.60
जम्मू-कश्मीर	54.20
कर्नाटक	65.92
केरल	69.66
मध्य प्रदेश	39.93
महाराष्ट्र	65.36
मुंबई	
पूर्वोत्तर	49.01
ओडिशा	38.61
पंजाब	75.11
राजस्थान	50.11
तमिलनाडु	64.92
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	34.01
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	
कोलकाता	45.91
पश्चिम बंगाल	
कुल	50.52

टिप्पणी: तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, झारखण्ड सहित बिहार, गोवा सहित महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड सहित उत्तर प्रदेश, सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल और अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्यों सहित पूर्वोत्तर के लिए डाटा/सूचना।

*****